Witness No. 1 For वादी साक्ष्य Deposition taken

the 30.08.2025 day of शनिवार Witness's apparent age 51 वर्ष

States on affirmation शपथपूर्वक my name is अनिल दुबे

son of श्री जीवनलाल दुबे occupation व्यावसाय

address **MIG-2A**, 8/19, जवाहर नगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़

Case No. 286 अ/2023

आज दिनांक 30.08.2025 को समय 12:51 बजे वादी साक्षी नीतिश अग्रवाल को शपथ दिलाकर उसका परीक्षण प्रारंभ किया गया ।

मैंने अपना मुख्य परीक्षण दिनाँक 30.07.2024 को आदेश 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. के तहत शपथपत्र मे पेश किया है, जिसमे पैरा 1 से 12 तक है ।

मुख्य परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मोहम्मद ताहिर शेख वास्ते वादी –

13. मेरे द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड जो मूल है **प्रदर्श पी–1** जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–1सी** है, प्रतिवादीगण के द्वारा मुझे प्रदान किया गया आम मुख्तयारनामा दिनांक 14.06.2010 का मूल **प्रदर्श पी–2** जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–2सी** है जिसके प्रथम से अंतिम पृष्ठ तक के अ से अ भाग पर भुवनलाल के हस्ताक्षर हैं व प्रतिवादीगण खिलावन प्रसाद, दिनेश कुमार, सुरेखा बाई व विमला बाई के हस्ताक्षर ब से ब भाग पर हैं तथा मेरे हस्ताक्षर स से स भाग पर हैं, साक्षीगण मोहन सोनी व रोहित कुमार सोनी के हस्ताक्षर द से द भाग पर हैं।

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

14. प्रतिवादीगण द्वारा सौदे के समय मुझे वाद भूमि की मूल ऋण पुस्तिका क्रमांक 1043271 प्रदान की गई थी जो कि **प्रदर्श पी–3** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–3 सी** है। वादभूमि की किस्तबंदी खतौनी फॉर्म बी–1 जो कि कुल 08 पृष्ठों में है **प्रदर्श पी–4** है। वादभूमि का खसरा पाँचसाला फॉर्म पी–2 जो कि कुल 03 पृष्ठों में है **प्रदर्श पी–5** है। वादभूमि का खसरा नक्शा **प्रदर्श पी–6** है। मेरे द्वारा प्रतिवादीगण को प्रेषित की गई अधिवक्ता नोटिस **प्रदर्श पी–7** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–7 सी** है। मेरे द्वारा जगन्नाथ श्रीवास को प्रेषित नोटिस की डाक रसीद जो कि **प्रदर्श पी–8** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–8 सी** है। दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 24.06.2024 वादभूमि के संबंध में छपाई गई आम सूचना जो कि **प्रदर्श पी–9** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–9 सी** है।

15. प्रतिवादीगण जगन्नाथ श्रीवास, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई को प्रेषित नोटिस का वापसी लिफाफा मूल जो कि **प्रदर्श पी–10** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–10 सी** है। प्रतिवादीगण जगन्नाथ श्रीवास, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई को प्रेषित नोटिस से संबंधित डाक रसीद जो कि **प्रदर्श पी–11** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–11 सी** है।

16. प्रतिवादी रामखिलावन को प्रेषित नोटिस की डाक पावती जो कि **प्रदर्श पी–12** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–12 सी** है। थाना प्रभारी थाना बोरी को की गई लिखित शिकायत दिनांक 06.08.2023 की प्रति **प्रदर्श पी–13** तथा उसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–13 सी** है। प्रतिवादी क्रं 01 से लेकर 05 द्वारा प्रतिवादी क्रं 06 को उपपंजीयक

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

Witness No. .... Description Sheet No. .... Case No. ....

कार्यालय में किये गये रजिस्ट्री की प्रति जो कि **प्रदर्श पी–14** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–14 सी** है जो कुल 21 पृष्ठों में है।

17. वादभूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के साथ तैयार किया गया बिक्रीनामा दिनांक 14.06.2010 **प्रदर्श पी–15** तथा जिसकी छायाप्रति **प्रदर्श पी–15 सी** है जो कुल 03 पृष्ठों में है जिसके प्रथम, द्वितीय व अंतिम पृष्ठ के अ से अ भाग पर भुवनलाल के तथा ब से ब भाग पर खिलावन प्रसाद, दिनेश, सुलेखा व श्रीमती विमला बाई के हस्ताक्षर हैं, स से स भाग पर मेरे व द से द भाग पर साक्षी मोहन सोनी व रोहित कुमार सोनी के हस्ताक्षर हैं।

18. प्रतिवादीगण भुवन लाल, खिलावन प्रसाद, दिनेश कुमार, सुलेखा बाई व विमला बाई ने वादभूमि की नाप होने के बाद मुझसे बचत रकम ₹10,000/– दिनांक 19.04.2011 को प्राप्त किया था जिसकी पावती इकरारनामा दिनांक 14.06.2010 के पृष्ठ भाग पर दी गई है, इकरारनामा प्रदर्श पी–16 है जिसके प्रथम पृष्ठ के अ से अ भाग पर प्रतिवादी भुवन लाल, खिलावन प्रसाद, दिनेश कुमार, सुलेखा बाई व विमला बाई के हस्ताक्षर हैं, ब से ब भाग पर मेरे व स से स भाग पर साक्षी संतोष कुमार श्रीवास व अशोक सिंह के हस्ताक्षर हैं। उसी इकरारनामा के पृष्ठ भाग पर खिलावन प्रसाद के द्वारा लिखितमय पावती दिनांक 19.04.2011 को दी गई तथा पावती में खिलावन प्रसाद, दिनेश कुमार श्रीवास एवं बलराम श्रीवास के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर हैं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री अरविंद त्रिपाठी वास्ते प्रतिवादी क्रमांक 06 –</u>

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

19. यह कहना सही है कि मुझे इस बात का संज्ञान है कि प्रदर्श पी–2 बिना प्रतिफल के तहरिर की गई है। साक्षी का कथन है कि हर आम मुख्त्यारनामा में यह लिखाया जाता है। यह कहना सही है कि उपरोक्त प्रदर्श पी–2 बिना प्रतिफल के तहरिर की गई इसके पुष्टी में मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि मैंने बिक्रीनामा बनवाया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 में पृष्ठ क्रमांक 01 एवं पृष्ठ क्रमांक 02 पर राम खिलावन, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई के कोई हस्ताक्षर नहीं है।

20. यह कहना सही है कि कौन मुख्त्यारदाता है और कौन मुख्त्यार प्राप्तकर्ता है इसका विवरण पृष्ठ क्रमांक 01 में है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के प्रथम स्टाम्प का क्रमांक 1956 है तथा द्वितीय स्टाम्प का क्रमांक 1957 है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उपरोक्त दस्तावेज प्रदर्श पी–2 रजिस्ट्रार के समक्ष बिना प्रतिफल के निष्पादित नहीं होने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी गयी है।

21. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–2 के पावती क्रमाक 214 में भुवनलाल का कोई हस्ताक्षर नहीं है। स्वतः कहा कि पावती में किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती है। यह कहना सही है कि पावती में हस्ताक्षर का कॉलम है।

22. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रदर्श पी–15 का स्टाम्प क्रमांक 1955 है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ क्रमांक 01 में राम खिलावन, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी स्वतः कहता है कि पीछे पन्ने पर हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ क्रमांक 02 में कथित खरीदी, बिक्री के संबंध में विवरण लिखा गया है जिसमें राम खिलावन, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई किसी का कोई हस्ताक्षर नहीं है।

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

Witness No. .... Description Sheet No. .... Case No. ....

23. उपरोक्त प्रदर्श पी–15 के स्टाम्प को मैंने खरीदा है इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 के स्टाम्प के हस्ताक्षर एवं प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ क्रमांक 03 के पन्नें के हस्ताक्षर अलग–अलग हैं । साक्षी स्वतः कहता है कि उक्त् दोनों हस्ताक्षर मेरे हैं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 के स्टाम्प में जो हस्ताक्षर किया गया है उक्त हस्ताक्षर मेरे द्वारा न्यायालय के आदेश पत्रक में नहीं किया गया है।

24. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 का दस्तावेज नोटराईज नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे वादपत्र में दिनांक 14.06.2010 को किसी प्रकार का कोई इकरारनामा किया जाना वर्णित नहीं किया गया है।

टीप – चायकाल होने से इसी स्तर पर साक्षी का परीक्षण स्थगित किया गया ।

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।		**मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।**
RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA	....	RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA
(रवि कुमार महोबिया)		**(रवि कुमार महोबिया)**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग		**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग**
जिला–दुर्ग (छ.ग.)		**जिला–दुर्ग (छ.ग.)**

साक्ष्य पुनः प्रारंभ समय– 03.19 बजे

टीप – चायकाल पश्चात उपस्थित साक्षी को शपथ दिलाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया ।

25. यह कहना सही है कि मेरे वाद पत्र में दिनांक 14.06.2010 को बिक्रीनामा और इकरारनामा अर्थात दो दस्तावेज एक ही दिन में निष्पादित होना नहीं लिखा गया है। यह कहना सही है कि मेरे वाद पत्र की कंडिका क्रमांक 11 और 12 में एक से अधिक बार

RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

वाद कारण दिनांक 04.01.2023 को उत्पन्न होना लिखा गया है। यह कहना सही है कि दिनांक 14.06.2010 के तीन वर्ष के भीतर मेरे द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्रेषित नहीं की गई है और न ही मेरे वादपत्र में ऐसा जिक्र है। यह कहना भी सही है कि 2013 से 2016 के मध्य भी मेरे द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्रेषित नहीं की गई है और न ही मेरे वादपत्र में ऐसा जिक्र है। यह कहना भी सही है कि 2016 से 2019 के मध्य भी मेरे द्वारा प्रतिवादीगण को कोई नोटिस प्रेषित नहीं की गई है और न ही मेरे वादपत्र में ऐसा जिक्र है। साक्षी स्वतः कहता है कि बातचीत हो रही थी।

26. मेरे अनुसार भुवन लाल की मृत्यु दिसंबर 2012 में हुई थी। यह कहना सही है कि दिसंबर 2012 तक भुवनलाल को उसके संपूर्ण जीवनकाल में मेरे द्वारा कथित रूप से बी–1 प्रस्तुत करने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दी गई है। साक्षी स्वतः कहता है कि खसरा बी–1 लाकर दिया था। यह कहना सही है कि भुवनलाल द्वारा खसरा बी–1 लाकर दिया गया है इस बात का उल्लेख मेरे वादपत्र में नहीं है।

27. मेरे द्वारा प्रकरण में प्रदर्श पी–14 के रूप में शैलेन्द्र द्वारा खरीदी गई जमीन का बयनामा/विक्रय पत्र प्रस्तुत किया हूं। यह कहना सही है कि उपरोक्त प्रदर्श पी–14 के विक्रय पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर विक्रेतागण जगन्नाथ, रामखिलावन, दिनेश कुमार, सुलेखा, विमला बाई के हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचन कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 202212102700020/अ/74/2022–23 दिनांक 16.01.2023 के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई थी।

28. यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि शैलेन्द्र तिवारी के नाम पर नामांतरित की जा चुकी है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा उपरोक्त शैलेन्द्र तिवारी के द्वारा खरीदी गई भूमि के

RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

Witness No. .... Description Sheet No. .... Case No. ....

संबंध में नामांतरण प्रकरण में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। यह कहना सही है कि मेरी उपरोक्त आपत्ति खारिज कर दी गई थी। यह कहना सही है कि इस खारिजी के विरूद्ध भी मेरे द्वारा कोई अपील या दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है।

29. मुझे इस बात की जानकारी है कि शैलेन्द्र तिवारी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शैलेन्द्र तिवारी की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का सीमांकन प्रतिवेदन दाखिल किया गया है। साक्षी को सीमांकन प्रतिवेदन **प्रदर्श डी–1 तथा उसकी छायाप्रति प्रदर्श डी–1सी** जो कुल 06 पन्नों में है को दिखाकर यह पूछे जाने पर कि आपने इसके विरूद्ध आपके द्वारा इस सीमांकन प्रतिवेदन को कोई चुनौती दी गई है? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि मुझे उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

30. मैं ग्राम बोरी के पवन, निर्मला, अनिरूद्ध एवं हेमंत को नहीं जानता हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उपरोक्त व्यक्तिगण वादग्रस्त भूमि के सीमावर्ती कृषक हैं। यह कहना गलत है कि शासन के द्वारा उपरोक्त प्रदर्श डी–1 के सीमांकन के जरीये विधिवत् प्रतिवादीगण का कब्जा पाया गया है। साक्षी स्वतः कहता है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि पर मेरा ही कब्जा है तथा मेरे द्वारा उस पर पोल लगाकर तार घेरा किया गया है।

31. यह कहना सही है कि वादपत्र में पोल लगाकर तार घेरा गया है ऐसा अभिवचन नहीं किया हूं। यह कहना गलत है कि

32. प्रश्नः– आप वादग्रस्त भूमि में कभी काबिज नहीं रहे इस कारण से आपको सीमांकन के और सीमावर्ती कृषकों के बारे में कोई जानकारी नहीं है?

RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

उत्तरः– मैं भिलाई में रहता हूं तथा मेरे घर से वादभूमि 20–22 किलोमीटर दूर है तथा विक्रेता के द्वारा विक्रय के पश्चात् संपूर्ण मूल दस्तावेज मुझे प्रदान कर दिया गया है इसलिए मैंने वादभूमि के सीमावर्ती कृषकों के संबंध में कोई जानकारी नहीं लिया हूं।

33. यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि के किसी भी चौहद्दी(चतुर सीमा) में स्थित भूमि का मैं स्वामी नहीं हूं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि निर्मला की भूमि वादग्रस्त भूमि के किस चौहद्दी से लगती है। मैं यह भी नहीं बता सकता कि अनिरूद्ध की भूमि के दक्षिण के तरफ किसकी भूमि है।

34. यह कहना गलत है कि मेरा वादग्रस्त भूमि के कब्जे से कोई सरोकार नहीं है। यह कहना सही है कि इकरारनामा प्रदर्श पी–16 में प्रतिफल की राशि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रदर्श पी–16 के खसरा नंबर एवं रकबा जो कि पेन से बाद में भरा गया है यह कब और किसके द्वारा पेन से भरा गया है इस संबंध में कोई टीप नहीं है? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि उक्त प्रदर्श पी 16 का इकरारनामा मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है उक्त इकरारनामा को विक्रेता के द्वारा बनवाया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16 में खसरा नंबर एवं रकबा जो कि पेन से बाद में भरा गया है में किसी का कोई लघु हस्ताक्षर नहीं है और ना ही उक्त संबंध में कोई टीप अंकित है।

35. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16 के मूल को मैंने अपने कब्जे से प्रकरण में पेश किया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ क्रमांक 01 तथा 02 में मेरे हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि मेरी जानकारी में यह बात सही है कि प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ 02 में संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्राप्त की जा चुकी है यह बात सही है।

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

Witness No. .... Description Sheet No. .... Case No. ....

36. साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रदर्श पी–15 के पृष्ठ 02 में किसी भी प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि केवल भुवनलाल के हस्ताक्षर हैं तथा अंतिम पन्नों में सभी के हस्ताक्षर हैं और उनको जानकारी है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि प्रदर्श पी–15 का पंजीयन क्यों नहीं कराया गया? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि उस दिन विक्रेता के द्वारा खसरा एवं बी–1 पंजीयन कार्यालय में नहीं लाया गया था इसलिए रजिस्ट्री न करके संपूर्ण पैसा देने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया एवं बिक्रीनामा बनाया गया?

37. यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–16 में भूमि की राशि का 10,000/– रूपये बकाया होना लिखा गया है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि बिना बी–1 के आम मुख्त्यारनामा का पंजीकरण कैसे हुआ? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि हो जाता है आम मुख्त्यारनामा और बिक्रीनामा बनाने के लिए खसरा बी–1 एवं नक्शे की जरूरत नहीं होती है।

38. यह कहना सही है कि बिक्रीनामा के स्टाम्प का अनुक्रमांक 1955 है जो कि आम मुख्त्यारनामा के स्टाम्प 1956 और 1957 के पहले का है। यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण को प्रेषित नोटिस प्रदर्श पी–7 में उपरोक्त वादग्रस्त स्थल पर किसी प्रकार की कृषि/उपज लेने का कोई वर्णन नहीं है। यह कहना सही है कि वर्ष 2010 के बाद से 2023 तक की अवधि में किसी प्रकार का कोई सहमति प्रतिवादीगण से नहीं लिया गया है। साक्षी स्वतः कहता है कि वादग्रस्त भूमि के मूल दस्तावेज मेरे पास थे तथा जो

RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

भी बिक्रीनामा तैयार किया गया था वह भी मेरे पास था इसलिए मैं उनके कोई संपर्क नहीं किया।

39. प्रतिवादी दिनेश का वर्ष 2016–17 में पता ग्राम जामुल था। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 25 पटवारी हल्का नंबर 26, बोरी बुजुर्ग के खसरा के कब्जा कॉलम में भी मेरा नाम दर्ज नहीं है।

40. प्रश्नः– आप प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना जानते थे तथा सीमांकन को भी जानते थे प्रतिवादीगण का कब्जा को इस कारण से चुनौती नहीं दिये थे?

उत्तरः– प्रतिवादीगण का वादभूमि पर कोई कब्जा नहीं था। मुझे प्रतिवादीगण के द्वारा सीमांकन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया था।

41. मुझे उपरोक्त सीमांकन प्रदर्श डी–1 के सीमांकन की जानकारी आज दिनांक को न्यायालय में हुई। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा उक्त संबंध में जानबुझकर झूठा कथन किया जा रहा है। मुझे कथित द्वितीय ऋण पुस्तिका बनाये जाने की निश्चित दिन–तिथि ज्ञात नहीं है मुझे वर्ष 2019–2020 के पश्चात् उक्त संबंध में जानकारी हुई कि प्रतिवादी द्वितीय ऋण पुस्तिका बनाने के फिराक में हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि द्वितीय ऋण पुस्तिका प्रतिवादीगण के द्वारा कब तैयार किया गया।

42. मुझे उपरोक्त कथित ऋण पुस्तिका कब बनवाने के लिए दिया गया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि एक ही दिन 14.06.2010 को तीन दस्तावेज बनाने का आपके अनुसार क्या कारण है? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि बिक्रीनामा एवं इकरारनामा मेरे द्वारा बनवाया गया जो नियमतः उस दिन लगता ही है। अब कहता है कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी एवं बिक्रीनामा उस दिन मेरे द्वारा तैयार किया गया

RAVI KUMAR MAHOBIA Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

Witness No. .... Description Sheet No. .... Case No. ....

है। यह कहना सही है कि मैं उपरोक्त कथन में यह स्पष्ट किया हूं कि कथित तीन में से दो ही दस्तावेज बनवाया हूं। तथा एक दस्तावेज विक्रेता के द्वारा बनवाया गया है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि उक्त तीनों दस्तावेज आपके कब्जे में किस प्रकार आ गये? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि दो मूल दस्तावेज बिक्रीनामा एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास थे तथा तीसरा दस्तावेज इकरारनामा जो विक्रेता द्वारा बनवाया गया था पटवारी द्वारा नाप करवाने के बाद मेरे द्वारा उनके हस्ताक्षर करवा करके दिनांक 19.04.2011 को वापस लिया गया। यह कहना सही है कि उक्त तथ्य वादपत्र एवं मेरे शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में उल्लेखित नहीं है।

43. मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि शैलेन्द्र तिवारी का बयनामा 31.07.2023 में हुआ था या नहीं। यह कहना सही है कि शैलेन्द्र तिवारी के बयनामा निष्पादन के बाद ही मेरे द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह वादपत्र प्रस्तुत किया गया है साक्षी का कथन है कि उसके पूर्व उसको नोटिस जा चुकी थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा शैलेन्द्र तिवारी को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया है।

44. यह कहना सही है कि मैं शैलेन्द्र तिवारी के द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आवेदन के प्रकरण में उपस्थित हुआ हूं जिससे मुझे उपरोक्त प्रकरण के प्रक्रियाओं की जानकारी है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैं पटवारी प्रतिवेदन के बारे में जानता हूं और असत्य कथन कर रहा हूं। प्रतिवादी के द्वारा मेरे द्वारा प्रेषित नोटिस का जवाब दिया गया है। मुझे आज याद नहीं है कि प्रतिवादी के द्वारा नोटिस के जवाब में किन–किन तथ्यों से इंकार किया गया

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त नोटिस के जवाब में कथित बिक्री के खंडन की बात जानते हुये भी असत्य कथन कर रहा हूं।

45. यह कहना सही है कि वर्ष 2010 में ग्राम बोरी बुजुर्ग में शासन द्वारा रजिस्ट्री में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रकरण में बी–1 के संबंध में वर्ष 2010 के बाद कोई पत्राचार प्रतिवादी को किया गया हो ऐसा उल्लेख मेरे वादपत्र में नहीं है । स्वतः कहा कि 10 दिन बाद उन्होंने बी–1 लाकर दे दिया था। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा यह वादपत्र झूठे आधार पर पेश किया गया है कि बी–1 के आधार पर रजिस्ट्री नहीं हुई थी। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आपके द्वारा 10 दिन उपरांत रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई गई? इस पर साक्षी उत्तर करता है कि मेरे पास समस्त मूल दस्तावेज थे तथा मैं रजिस्ट्री कराने हेतु स्वतंत्र था।

टीपः– इसी स्तर पर न्यायालयीन समय समाप्त होने से साक्षी का शेष प्रतिपरीक्षण आगामी पेशी तिथि तक के लिए स्थगित किया जाता है।

साक्ष्य समाप्ति समय 05.00 बजे

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया सही होना स्वीकार किया।

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

(रवि कुमार महोबिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

....

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

RAVI KUMAR MAHOBIA
Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

(रवि कुमार महोबिया)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी दुर्ग के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)